



उप क्षेत्रीय कार्यालय मारोल
SUB REGIONAL OFFICE MAROL

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदिप भवन, प्लॉट नं. ९, रोड नं. ७,

एम.आय.डी.सी. मारोल, अंधेरी (पू.), मुंबई-४०० ०९३.

PANCHIADEEP BHAVAN, PLOT NO. 9, ROAD NO. 7

M.I.D.C. MAROL, ANDHERI (E), MUMBAI-400093.

संख्या: एम/व्यापि/No. M/Cov/ RP16/106/35-0-5046-10)

दिनांक Date :- 19/7/07

सेवा में, To,

मेसर्स M/s. Anchor Security Services

प्रमुख नियोजक

Principal

Employer:

A-802, Sea Bird Ridg, CPP,

Malad (W) Church, Marve Road

Malad (W) Mumbai-45

विषय:- क. रा. बी. अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन 1 क. रा. बी. अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) की धारा 2/(12)-1/(5) के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं कारखानों/स्थापनाओं का पंजीकरण ।

Sub: Implementation of the ESI Act, 1948. Registration of Employees and factories/establishments U/S/2 (12)-1 (5) of the ESI Act, 1948 as amended.

प्रिय महोदय/या Dear Sirs/Madam

आपको आगे सूचित करना है कि केन्द्रीय सरकार ने क. रा. बी. अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में स्थित सभी कारखानों अधिनियम के उपबंधों को लागू किया है ।

I have to inform that Under Sec. 1 (3) of the ESI Act, the Central Government has made provisions of the Act applicable to factories situated within the notified area.

2. आपको आगे सूचित करना है कि उपयुक्त सरकार ने अपनी दिनांक 18-9-78 की अधिसूचना संख्या क. रा. बी. - 1677/3910/पी. एच-14 के द्वारा दिनांक 12-11-1978 से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत अन्य स्थापनाओं में भी अधिनियम के उपबंधों को बढ़ा दिया है ।

2. I have further to inform you that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other Establishments Under Sec. 1 (5) of the ESI Act with effect from 12-11-1978 vide notification No. ESI-1677/3910/FH-15 dated 18-9-1978, and to Road Motor Transport Establishments with effect from 13-3-1989 vide Notification No. ESI/2788/2999/CR/350/MED/13 dated 10-3-1989.

3. अधिनियम की धारा 2-क के अनुसार ऐसे कारखाने/स्थापना को स्वयं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करना आवश्यक है और अध्याय IV के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त अपने कर्मचारियों के बारे में अंशदानों की अदायगी का उत्तरदायित्व प्रमुख नियोजक को सुनिश्चित करना है ।

3. Under Section 2-A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and Chapter IV thereof casts a responsibility on the Principal Employer thereof to insure its employees and to pay contributions in respect of such employees covered under the Act.

Attested by me
Nirmoshkani R. Prajapati
20/06/07

Nirmoshkani R. Prajapati
Advocate & Notary



भवदीय, Yours faithfully,

उप निदेशक / Dy. DIRECTOR
कृते क्षेत्रीय निदेशक / For REGIONAL DIRECTOR
जे. पी. एस. मारीक / J.P.S. MARIK
सहा. निदेशक / ASSTY. DIRECTOR
क. वा. वी. विपम / K.V.V. VIKRAM
व. खे. एन. मरीक / V.K.E.N. MARIK

अनुलग्नक - यथापरि Encl : As stated above

- 1. भारतीय स्टेट बैंक की सूची List of S.B.I.

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :- Copy for information and necessary action to :

पंजीकरण शाखा/103-ए अनुभाग/निरीक्षण शाखा/प्रविष्टि अनुभाग/स्था. का./प्रबन्धक _____
बीमा निरीक्षक _____

R. R. Br./103-A Sec/Inspection Br./Posting Section/Local Office Manager _____
Insurance Inspector _____

काम का स्वरूप Nature of work :

कर्मचारियों की संख्या No. of Employees :-

उप निदेशक Dy. DIRECTOR

Attested by me
Nirmeshkant R. Prajapati
30/01/04

Nirmeshkant R. Prajapati
Advocate & Notary

etc
[Signature]

